

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मनीष कुमार जाटव, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 37/2024
दायर दिनांक : 08.05.2024
निर्णय दिनांक : 12.06.2024

1. श्री किशन पुत्र झूथा जाति मीना, निवासी हाज्याकाबास तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हाज्याकाबास तहसील दौसा में आराजी खसरा नम्बर 300/466 रकबा 1.38 है. स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान भी प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.01.2014 को करा लिया गया था जिसकी मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा बनायी गयी थी। इसके बावजूद भी आसपास के खातेदारान सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न करते हैं। इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात की वास्तविक पैमाइश कराकर भूमि के चारों तरफ पत्थर गाढकर पत्थरगढी के निशानात कायम कराने का अधिकारी है। ताकि सीमा संबंधी कोई विवाद न हो। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को आदेश व निर्देश फरमाया जावे कि वे ग्राम हाज्याकाबास तहसील दौसा में आराजी खसरा नम्बर 300/466 रकबा 1.38 है. भूमि की पुलिस सहायता से राजस्व कर्मचारियों की टीम घटित कर भूमि की वास्तविक पैमाइश कर भूमि के चारों तरफ पत्थर गाढकर पत्थरगढी के निशानात कायम।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हाज्या का बास तहसील दौसा के खसरा नम्बर 300/466 रकबा 1.38 है. भूमि प्रार्थी श्री किशन पुत्र झूथा जाति मीना के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। मौके पर प्रार्थी की आंशिक भूमि पर अन्य पडौसी खातेदार का कब्जा काशत है। प्रार्थी की भूमि पर सीमा संबंधी विवाद नहीं होकर कब्जा काशत का विवाद है। उक्त भूमि पर मुताबिक रिकॉर्ड किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित है।


प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पूर्व में राजस्व दल द्वारा प्रश्नगत आराजी का सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी पर वर्तमान में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राजो)

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित होगा। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम हाज्या का बास तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 300/466 रकबा 1.38 है. का अनुभवी पटवारियों/ भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्तो की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।




(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)